

1. अधिकारी का पूरा नाम डॉ. एस. पी. (आर) कर्की
 2. प्रथम नियुक्ति दिनांक / वर्तमान धारित पद ज. 06.1983
 3. जन्मतिथि 20.06.1958
 4. वर्तमान वेतन 80375/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2018

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया..... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ग्राम आरामो वडा, चरखा नरसिंहपुर	-	82कड वृद्धि भूमि	80000 रुपये लागत	पिता जी श्व. रुक. दीक्षित	पैतृक	डोलारन डपटे	
2) राजनी नगर - परेताल जवलयु	मकान	-	डी बरोड डपटे लागत	पिता जी श्व. रुक. दीक्षित 1990 में कर्की का गृह है	पिता द्वारा निर्माण कराया गया	NIL	

हस्ताक्षर 16.4.18
 नाम डॉ. एस. पी. (आर) कर्की
 पद IAS (AR)
 विभाग क. ल. अ. च. स.

- 1 जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए
 - 2 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
 - 3 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।
- टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।